न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 19/18 **सन् 2018**

आरसीएमएस संख्या 2017/00236

बउनवानीः–श्रीमति कुशल कवंर पुत्री स्व. श्री औंकार सिंह जाति राजपूत निवासी जटवाडा खुर्द तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. श्रीमति विमलेश पत्नि स्व0 श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत नि. जटवाडा खुर्द तह0 स0मा0

(अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 475 निर्णय दिनांक 24.9.2010 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः– 1. श्री आशीष कुमार जैन — वकील अपीलान्ट
2. श्री उमाशंकर शर्मा — वकील रेस्पो

–: निर्णय :– **दिनांक 22.07.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 475 निर्णय दिनांक 24.9.2010 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट की कब्जा काश्त खातेदारी की शामलाती पुश्तैनी आराजी खन0 84 रकबा 0.25 है0, ख0न0 143 रकबा 0.28 है, ख0न0 346 रकबा 0.35 है, ख0न0 347/704 रकबा 0.25 है0, ख0न0 348 रकबा 0.61है, ख0न0 348/702 रकबा 0.35 है0, ख0न0 349 रकबा 0.98 है0, ख0न0 350 रकबा 0.01 है0, ख0न0 351 रकबा 2.80 है0, ख0न0 352 रकबा 0.91 है0, ख0न0 355 रकबा 0.10 है0, ख0न0 356 रकबा 0.03 है0, ख0न0 361 रकबा 1.25 है0, ख0न0 369 रकबा 1.11 है0, ख0न0 655 रकबा 0.11 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 9.39 है0 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द मे स्थित है। जिसमे अपीलान्ट का हिस्सा 270/939 है तथा आराजी ख0न0 439 रकबा 2.56 है0 वाके ग्राम जटवाडा खुर्द में अपीलान्ट का हिस्सा 50/256 है जो आराजी पहले स्व0 श्री औंकार सिंह की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी थी जिनके देहान्तोपरान्त उक्त आराजी बजरिये नामा0 संख्या 472 दिनांक 30.8.2010 से अपीलान्ट व अपीलान्ट की माता स्व0 मुन्नी देवी व अपीलान्ट की भाभी रेस्पो. (विपुल उर्फ मानवेन्द्र, रानू,सोनू,दीपा, नाबालिग जरिये माता विमलेश देवी) एवं अपीलान्ट की बहन राजेश्वरी देवी के नाम इन्द्राजित हुई है। यह तर्क भी दिया अपीलान्ट की भाभी रेस्पो. द्वारा अपीलान्ट की माता स्व. श्रीमति मुन्नी देवी को उक्त नामा0 के बाद अनावश्यक हेरान परेशान तंग करने लगी और यातनाये देने लगी ओर कहने लगी कि अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का हकत्याग रेस्पो. के नाम करवाओं। इस दबाव की जानकारी अपीलान्ट की माता मुन्नी देवी द्वारा अपीलान्ट को दी तो अपीलान्ट ने रेस्पो. के पक्ष मे हकत्याग करने से मना कर दिया तो अपीलान्ट की माता ने कहॉ कि अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग उसकी माता अर्थात मुन्नी देवी के नाम कर देवे। ताकि रेस्पो. मुन्नी देवी को परेशान करना बन्द कर देवे। इस हालात के मारे अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग अपनी माता मुन्नी देवी के नाम दिनांक 20.9.2010 को कर दिया गया। जिसे अपीलान्ट शुन्य व रद्व घोषित करवाने की अधिकारिणी है और स्वंय के नाम खातेदारी उद्घोषित कराने की अधिकारिणी होने के कारण माकूल राजस्व व दिवानी वाद अपीलान्ट द्वारा सक्षम न्यायालय मे पेश किये गये है। अपीलान्ट की माता के देहान्त होने पर अपीलान्ट की माता की आराजी का विरासत का नामा0 खुलवाने हेतु रेस्पो. से लगातार कहती चली आ रही है किन्तु रेस्पो. ने कोई सन्तोषजनक जवाब नही दिया। माह 20.6.2018 मे रेस्पो. ने अपीलान्ट के सख्त तकाजे पर यह

डॉ0 [illegible] पी. सिंह
जिला कलेक्टर

जाहिर किया कि सम्पूर्ण भूमि रेस्पो. के नाम लग चुकी है। अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि अपीलान्ट की माता से रेस्पो. द्वारा फर्जी तरीके से दिनांक 29.10.2010 को हकत्याग करवाकर सम्पूर्ण आराजी अपने नाम करवा ली गयी है जो कतई गलत एवं नियम विरूद्व है। क्योकि हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही किये जा सकते है। कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RBJ(18)2011 page No 225-227 पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नही है। इस प्रकार अपीलाधानी आदेश की नकल दिनांक 28.6.2018 को प्राप्त होने पर जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 475 दिनांक 24.9.2010 श्रीमति कुशल कवंर द्वारा श्रीमति मुन्नी देवी के पक्ष मे करवाये गये रजिस्टर्ड हकत्याग कमांक 2010003822 दिनांक 20.9.2010 के आधार पर तस्दीक किया गया है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। जहॉ तक हकत्याग के आधार पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नही होने के संबंध में वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का प्रश्न है तो उक्त न्यायिक दृष्टान्त मे अंकित तथ्य व इस प्रकरण में अंकित तथ्य काफी भिन्न है। यह भी तर्क दिया कि आदेश जैर अपील सें संबंधित आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य अपने अधिकार तय करवाने, हकत्याग दिनांक 20.9.2010 को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय मे तथा उद्घोषणा का दावा उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण भी आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप नही किया जा सकता है। कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त RRD14.9.2010-page556,RRD-14.5.2010-page281,RRD-14.10.2009page648-650, 2017 (i)(civ))raj)45, इत्यादि प्रस्तुत किये जाकर अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ, कि विवादित नामा0 आदेश जैर अपील नामा संख्या 475 दिनांक 24.9.2010 श्रीमति कुशल कवंर द्वारा श्रीमति मुन्नी देवी के पक्ष मे करवाये गये रजिस्टर्ड हकत्याग कमांक 2010003822 दिनांक 20.9.2010 के आधार पर तस्दीक किया गया है। किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RBJ (18)2011 page No 225-227 के अनुसार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 63 के अन्तर्गत हकत्याग के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने की अनुमति नही है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्यों के अनुसार हकत्याग के आधार पर तस्दीक किया गया नामा0 संख्या 475 विधिसम्मत नही है अर्थात उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होता है। यह भी उल्लेखीय है कि पक्षकारान के मध्य आदेश जैर अपील से संबंधित हकत्याग पत्रों को निरस्त करवाने बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन है तथा उपजिला कलेक्टर न्यायालय मे भी पक्षकारान के मध्य उदघोषणा का दावा जैरकार है जिसमे माननीय न्यायालयों द्वारा पक्षकारान के हितो का निर्धारण किया जाना है। किन्तु वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में अंकित तथ्यों के आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 475 विधिसम्मत नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझता हूॅ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.7.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 16:57:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: